VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0548705

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Arpit Kumar

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
Hindi

तारीख
Date
26/08/23.

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre: Lilawati School Delhi.

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature: Komal

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश **उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।**	**Important Instructions** **Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

VISIONIAS

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks		प्रश्न सं. Q. No.	अंक Marks	
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
उप-योग (A) Subtotal (A)			उप-योग (B) Subtotal (B)		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पर्यावरणीय दबाव समूह: पर्यावरण को लेकर जागरूक व्यक्तियों का एक संगठित समूह होते हैं। ये अनुसंधान, दबाव, आंदोलन-प्रदर्शन आदि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं यथा:
पर्यावरणीय अध्ययन हेतु केंद्र (CSE)
नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि.

दबाव समूह और सार्वजनिक भागीदारी

1. दबाव समूह, राष्ट्रीय नीतियों का अवलोकन करते हैं तथा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं
यथा- पन्ना टाइगर रिजर्व का संरक्षण.

2. दबाव समूह व्यापक पैमाने पर लोगों को लामबंद करते हैं
यथा- सरदार सरोवर डैम के निर्माण के समय.

③ दबाव समूह, जनता को शिक्षित तथा संगठित करते हैं।
यथा- जलवायु परिवर्तन संबंधी विश्लेषण
○ प्रदूषण मानकों में सुधार हेतु आंदोलन

दबाव समूह और अनुक्रियाशीलता

पर्यावरण

- वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यथा- चिपको आंदोलन
- यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी प्राधिकरण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करें
- विकास में पर्यावरणीय मानकों को शामिल कराने में भूमिका
- सरकारी नीतियों हेतु आगतों को लाना
- सरकारी निर्वात को भरना यथा- अनुसंधान आदि को बढ़ावा।

"हालांकि कभी-कभी दबाव समूह विकास को बाधित करते हैं अतः एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो इनकी प्रभाविता में वृद्धि करेगी।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक 'पेशे' के रूप में स्वीकार किया जाना, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent acknowledgment of sex work as a 'profession' by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गौरव जैन वाद में सेक्स वर्क को वैध बताया गया है। हालांकि यह वैधता वास्तविक रूप में स्थितियों को ठीक करने में सफल नहीं हुयी किंतु यह पहला कदम जरूर है

(i) पुलिस द्वारा शोषण से रक्षा

यह मान्यता, सेक्स वर्कर्स की पुलिस के प्रति सुभेद्यता को कम करेगी.

(ii) कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच :

सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, तथा अन्य योजनाओं तक पहुँच में वृद्धि होगी :). आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना आदि.

(iii) बेहतर विनियमन :

मान्यता प्रदान करना

राज्य की संस्थाओं को स्पष्टता प्रदान करेगा यथा- शिक्षा तथा स्वास्थ्य में समावेशन .

(1) सामुदायिक अभिवृत्ति में परिवर्तन

अधिकांश सेक्स वर्कर्स WASH सुरक्षित स्थलों के अभाव में होते हैं. यह मान्यता लोगों की अभिवृत्ति में परिवर्तन करेगी।

हालांकि यह मात्र पहला कदम है तथा विधायिका व कार्यपालिका द्वारा भी सुधार अपेक्षित है-

सुधार
- कौशल विकास
- आर्थिक सशक्तीकरण
- दिल्ली पुलिस की योजना पुनर्वास के विकल्प प्रदान.
- आधार कार्ड तथा अन्य योजनाओं में नामांकन.
- बेहतर स्वास्थ्य हेतु टीकाकरण आदि को बढ़ावा.

∴ सेक्स वर्कर्स को मानवीय परिस्थितियाँ तथा समानता हेतु यह मान्यता प्रेरक का कार्य करेगी। इसे विधायी तथा कार्यपालिकीय समर्थन की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. भारत में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the role played by District Legal Services Authorities (DLSAs) in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39(क) के अनुसार राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह सभी व्यक्तियों की न्याय तक समान पहुँच स्थापित करे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका

(i) जिला विधिक प्राधिकरण साप्ताहिक तथा मासिक न्याय शिविरों का आयोजन करते हैं।

(ii) यह वादी तथा प्रतिवादी को निःशुल्क कानूनी सहायता के रूप में वकील प्रदान करते हैं।

(iii) प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग से कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं यथा: संविधान साक्षरता दिवस।

(iv) प्राय: अनौपचारिक कार्यप्रणाली के माध्यम से यह वादों का शीघ्र निस्तारण करने में सक्षम होते हैं।

(v) इनके द्वारा वाद फाइल करने तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों को वहन किया जाता है।

(vi) जिला न्यायालयों की सहयोग से ये प्राधिकरण दीवानी मामलों में प्राय: सुलहपूर्ण रवैया अपनाते हैं।

(vii) ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी इनके द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।

हालांकि संसाधनों की अपर्याप्तता तथा कार्यप्रणाली में अनियमितता के कारण ये अपनी अपेक्षित भूमिका के निर्वहन में चुनौती का सामना कर रहे हैं।

"अत: आवश्यकता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिला विधिक प्राधिकरणों के क्षमता निर्माण हेतु कार्य करें।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. "कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"The collegium system has become a victim of its own success, with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy." Comment. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

तीन न्यायाधीश मामलों के फलस्वरूप भारतीय न्याय प्रणाली में कॉलेजियम का संस्थागत विकास हुआ है इसके माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर अभिभावी भूमिका स्थापित होती है।

शक्ति का संकेंद्रण तथा न्यायपालिका की कॉलेजियम प्रणाली की वैधता

1. कॉलेजियम में चार सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं।

↓

2. उपर्युक्त चार वरिष्ठतम न्यायाधीश किसी न किसी समय मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना रखते हैं।

3 बार प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता.

4. कार्यपालिका की भूमिका का उल्लंघन
=> नियुक्तियाँ कार्यपालिका का विषयक्षेत्र

5. न्यायपालिका के पास पर्याप्त आगतों का अभाव होता है
यथा IB तथा RAW की सहायता का उपबंध न होना

उपर्युक्त कारणों से इसकी वैधता प्रश्नगत है तथा भारत में अंकल जज की अवधारणा भी सामने आयी है।

हालांकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि कॉलेजियम प्रणाली ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी है।

∴ किंतु वर्तमान में समय आ गया है कि पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को भी स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाए और कॉलेजियम प्रणाली में सुधार हो।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. "सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"Civil services reforms must go beyond recruitment and standardised training to cope with the present day challenges." Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सिविल सेवाएँ भारत में स्थायी कार्यप्रणाली का निर्माण करती हैं तथा नीति कार्यान्वयन से लेकर सर्विस प्रदायगी में इनकी प्रमुख भूमिका है।

सुधारों की आवश्यकता
- वेबेरियन मॉडल को अभी भी अपनाना।
- एकरूपता का प्रचलन
- आउटपुट की जगह प्रक्रिया को महत्व।
- कल्याणकारी आदर्शों की स्थापना हेतु

हालांकि भर्ती तथा प्रशिक्षण में सुधार किये गये हैं यथा-

भर्ती
- स्थिम्स की जाँच
- UPSC की भूमिका
- पाठ्यक्रम में बदलाव
- एप्टीट्यूड टेस्ट

प्रशिक्षण
- कर्मयोगी
- अनुसंधानों को महत्व
- कार्यक्षेत्र प्रशिक्षण।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रशिक्षण तथा भर्ती से आगे की आवश्यकता :

1. कार्यप्रणाली में सुधार
: वर्तमान कार्यसंस्कृति नवोन्मेषिता तथा जोखिम को हतोत्साहित करती है।

2. मिड टर्म मूल्यांकन हो तथा अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था : 2nd ARC.

3. वेबेरियन मॉडल की जगह नव मैनेजमेंट प्रणाली को अपनाया जाये।

4. कार्यकाल में न्यूनतम दो वर्षों का स्थायित्व हो

5. लिखित आदेश को बढ़ावा => राजनीतिक दबाव में कमी।

6. कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के अनुरूप कार्यसंहिता का निर्माण।

7. पुरस्कार तथा दंड को बढ़ावा

8. अनु. 311 में संशोधन हो।

∴ बदलते समय में सिविल सेवाओं की प्रभाविता में वृद्धि हेतु उपर्युक्त सुधार अपेक्षित हैं तथा नोलन समिति व होता समिति पर भी विचार किया जाना चाहिए।

6. सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे परिणाम-आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Outcome-based finance models such as social impact bonds have the potential to truly catalyse change and deliver socio-economic impact at scale. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सामाजिक प्रभाव बाण्ड्स, योजनाओं को उनके परिणामों से संबद्ध करते हैं।

वास्तविक परिवर्तन लाने की क्षमता

1. सामा. प्रभाव बाण्ड्स के माध्यम से योजनाओं को प्राप्त संसाधनों में वृद्धि होती है।
2. परिणाम की सत्ता स्थापित, प्रक्रियागत जड़ता से मुक्ति मिलती है।
3. सार्थक रूप से व्यवहार्य
4. निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग संभव

सामाजिक आर्थिक परिवर्तन

① भारत जैसे विकासशील देश, वित्त की समस्या से वंचित रहते हैं।

2. ये बाण्ड, वित्त की समस्या को दूर करेंगे।
3. सार्वजनिक संसाधनों की प्रभाविता में वृद्धि होगी।
4. योजनाएँ पारदर्शी होंगी तथा सामाजिक ऑडिट संभव होगा।
6. सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने को मौका मिलेगा।
7. भारत की वित्तीय साख में वृद्धि होगी।
8. साथ ही पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से यह शासन में जनता की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे।
9. सेबी तथा अन्य विनियामकीय संस्थाओं का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित होगा।

11

10. संसाधनों तथा परिणामों में सुसंगतता आएगी।

∴ सामाजिक प्रभाव बाण्ड्स अभी विकास के प्रारंभिक चरणों में है, उपयुक्त विनियामकीय ढाँचा के द्वारा इनका उपयोग किया जाना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में कार्यक्षेत्र में औपचारिक रूप से संलग्न महिलाओं की संख्या 20% है (PLFS) जबकि ग्रेजुएट महिलाएं लगभग 33% हेतु जिम्मेदार हैं - (शिक्षा मंत्रालय)

अंतराल हेतु उत्तरदायी कारण

- विवाह की उम्र का कम होना.
- कार्य के प्रति भारतीय समाज में सकारात्मक अभिवृत्ति का अभाव
- अधिकांश ग्रेजुएट मानविकी विषयों से ∥ कार्य के अवसर कम.
- कार्यस्थल पर सुरक्षा की चिंता.
- ग्लाससीलिंग का होना.
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सहभागिता.

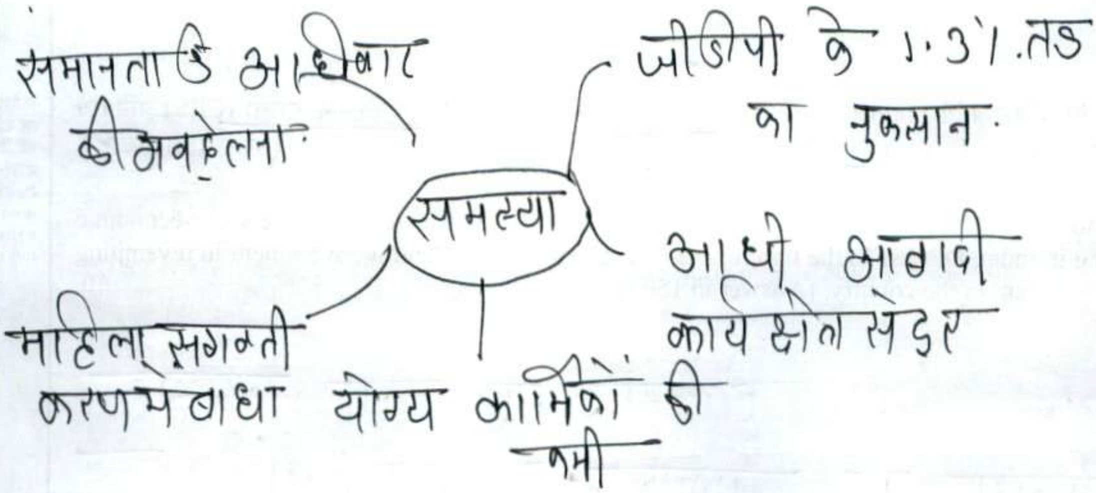

समस्या को हल किये जाने के लाभ

1. महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी वूमेनामिक्स को बढ़ावा.
2. भारत के कार्यबल में विविधता आएगी.
3. महिलाओं का आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण होगा.
4. परिवार की आय में वृद्धि होगी.
5. महिलाओं की शिक्षा तथा स्वास्थ्य मानकों में सुधार

"महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी हेतु STEM क्षेत्र से लेकर कार्यस्थल की सुरक्षा तक बहुआयामी अप्रोच की आवश्यकता है।"

8. भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) अनिवार्य है। देश में CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An up to date and functional Civil Registration System (CRS) is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the Central government in revamping the CRS system in the country. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में जनसंख्या रजिस्ट्रार कार्यालय ने नागरिक प्रणाली पंजीकरण में अद्यतन सुधार किये हैं। यह नागरिकों के जन्म, मृत्यु तथा अन्य बुनियादी जानकारी का लेखा जोखा होती है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली और सामाजिक आर्थिक नियोजन :

नियोजन

- स्रोत संबंधित नीति निर्माण में सहायता
- सरकार को विश्वसनीय आंकड़ों की प्राप्ति
- पारदर्शी पंजीयन
- सरकारी योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण
- सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी यथा: आयुवर्ग आदि

केंद्र सरकार के हालिया सुधारों का महत्व

① अब जन्म तथा मृत्यु का पंजीयन जन्म तथा मृत्यु के स्थलों पर ही होगा

② यह पंजीयन में धोखाधड़ी तथा फर्जीवाड़ा को कम करेगा।

③ डेटाबेस को डिजिटल किया जाएगा। इससे सरकारी संस्थाओं के बेहतर आंकड़ों की प्राप्ति होगा।

④ डेटा स्थानीयकरण का प्रावधान।
सामाजिक रूपांतरण में ये कदम सहयोगी होंगे यथा
⇒ लैंगिक तथा आर्थिक
⇒ जानकारी तक राज्य की पहुंच।

"नागरिक पंजीकरण प्रणाली में निहित डेटा संवेदनशील होता है अतः उपयुक्त प्रोटोकॉल के द्वारा इसका उपयोग किया जाना चाहिए।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

9. यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन-से होंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the key areas of reform if the International Monetary Fund (IMF) has to align with the current economic realities? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक आर्थिक स्थिरता तथा राष्ट्र राज्यों की भुगतान संतुलन में स्थिरता हेतु आवश्यक है।

वर्तमान आर्थिक वास्तविकताएँ

- विकसित देशों के आर्थिक महत्व में वृद्धि
- चीन द्वारा असुरक्षित लोन / डेटलोमेसी
- विकसित देशों द्वारा संरक्षणवाद को बढ़ावा
- $ को अन्य मुद्राओं से चुनौती
- विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में निर्णायक भूमिका

सुधार के प्रमुख क्षेत्र

① गवर्निंग बॉडी में सुधार -

अध्यक्ष हेतु राष्ट्रीयता

का प्रावधान खत्म करना.
अमेरिका के वीटो की समाप्ति.

(ii) कोटा में वृद्धि.
अभी भी विकास देशों का
कोटा अत्यंत कम है

(iii) $ के अलावा अन्य मुद्राओं को
बढ़ावा.
रुपया-रूबल तथा रुपया-रियाल आदि
समझौतों का संज्ञान.

(iv) अविकसित देशों के प्रतिनिधित्व में
वृद्धि

(v) पारदर्शी वित्तीय मानकों का
निर्माण यथा: रेटिंग आदि.

(vi) आकस्मिक रिजर्व के प्रयोग क्षेत्रों
में वृद्धि.

IMF में सुधार आर्थिक स्थिरता
के साथ साथ बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था
हेतु भी आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. हाल के वर्षों में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू-राजनीति के दायरे से आगे निकलकर भू-अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geoeconomics. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

I2U2 तथा भारत-यूएई मुक्त व्यापार समझौते ने पश्चिमी एशिया के साथ भारत के संबंधों में स्वरूपगत परिवर्तन किया है-

भू-राजनीति से आगे भू-अर्थशास्त्र की ओर संबंध -

(1) यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

(2) भारत तथा सऊदी अरब ने रुपया-रियाल समझौते को बढ़ावा दिया है।

(3) पश्चिम एशिया, भारत के विप्रेषण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(4) I2U2 समझौते ने आर्थिक संबंधों को तरजीह दी है-

5. UAE, भारत में खाद्य पार्कों में निवेश को बढ़ावा देगा।

6. सऊदी अरब भारत के 18% तेल तथा 30% गैस हेतु उत्तरदायी है, यह भू-अर्थशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7. चाबहार बंदरगाह, भू-अर्थशास्त्र संबंधों को नयी दिशा दे सकता है यह भारत की व्यापार लागत को 30% तक कम कर सकता है।

8. चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु भारत तथा पश्चिम एशिया के मध्य भू-अर्थशास्त्रीय संबंध प्रतिष्ठ है।

"पश्चिम एशिया, भारतीय विदेश नीति का संवेदनशील क्षेत्र है अत: संबंधों में चेक एंड बैलेंस का प्रावधान होना चाहिए।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The role of the Competition Commission of India (CCI) is significant in furthering healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness. Comment. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को गति प्रदान करते हुये 2002 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग [CCI] की स्थापना की गयी थी -

स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता हेतु CCI की भूमिका -

CCI यह सुनिश्चित करता है कि बाजार, बाजार के नियमों से संचालित हो तथा इसमें कोई यांत्रिक हस्तक्षेप न हो।

CCI के पास अनुचित पद्धतियों की जाँच करने का अधिकार है साथ ही यह उन पर दंड भी आरोपित कर सकता है।

यह भारतीय आर्थिक परिदृश्य में भारतीय कानूनों की वैधता को सुनिश्चित करने में भूमिका निभाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मैण्डेट में नवाचार को प्रोत्साहन करना है यह इसे निम्न प्रकार सुनिश्चित करता है।

- बाजार में एकाधिकार को हतोत्साहित करके
- व्यावसायिक पद्धतियों की आवधिक समीक्षा के द्वारा
  - यथा- वोडाफोन को अनुचित पद्धतियों हेतु दंडित करना।
- अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करके यथा-
  - सेबी
  - नियामकीय अधिकरण

हालांकि नवाचार तथा प्रतिस्पर्धा के प्रोत्साहन में CCI को निम्न चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है यथा-

चुनौतियाँ

- अत्यधिक सरकारी नियंत्रण
- संसाधनों का अभाव
  - कार्मिकों की रिक्तियाँ
- निर्णय को चुनौती देना
- लोगों के मध्य जागरूकता का अभाव
- अनुसंधान पर कम खर्च (0.65% gdp का)

∴ अतः आवश्यकता है कि इसकी कार्यप्रणाली की पुनः समीक्षा की जाए। साथ ही अनुचित व्यापारिक पद्धतियों की रिपोर्टिंग हेतु लोगों में जागरूकता बढ़ायी जाये।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

12. "पेड न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है।" भारत में पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
"The menace of paid news often rears its ugly head during elections." Discuss the need for making paid news an electoral offence in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पेड न्यूज, न्यूज का वह स्वरूप है जो निहित लाभों हेतु, निष्पक्षता के उल्लंघन के द्वारा रिपोर्टिंग की जाती है. इसमें कार्पोरेट घराने तथा राजनीतिक दल अपने हितों हेतु रिपोर्टिंग कराते हैं.

चुनावों के दौरान पेड न्यूज की गंभीरता:

1. प्रायः न्यूज के माध्यम से ही मतदाता अपना वोट निर्धारित करते हैं
⇓
2. अतः चुनावी लाभ हेतु न्यूज पर नियंत्रण प्रभावी साधन
3. एक दल द्वारा दूसरे दलों की कमियों को उजागर करने का साधन
4. अंतर्राष्ट्रीय कारकों की भूमिका; विदेशी राज्यों में अपनी पसंद की सरकार की स्थापना.
⇒ यथा यूएस चुनावों में बाहरी राष्ट्रों के हस्तक्षेप का आरोप.

5. प्राय: सभी दल ऐसा कर रहे होते हैं अत: चुनाव आयोग के पास अंडर रिपोर्टिंग होना।

भारत सफल चुनावी लोकतंत्र रहा है अत: मतदाताओं की स्वस्थ राय तथा लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक है कि पेड न्यूज को चुनावी अपराध बनाया जाये।

1. स्वतंत्रता के अधिकार (अनु-21) तथा जानने के अधिकार का उल्लंघन।
2. क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा: कार्पोरेट घराने तथा राजनीतिक दलों का गठजोड़।
3. जब तक पेड न्यूज. चुनावी अपराध नहीं होंगे तब तक यह प्रसारित होंगे।
4. इससे चुनावों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठेगा तथा सत्ता हस्तांतरण बाधित होगा
यथा: ब्राजील तथा पाकिस्तान।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. वास्तविक मुद्दों से भटकाव यथा - स्वास्थ्य, शिक्षा, मुद्रास्फीति आदि की उपेक्षा।

6. चुनाव आयोग की भूमिका में कमी - चुनावी अपराध न होने की वजह से चुनाव आयोग की भूमिका अत्यंत सीमित है। इससे पेड न्यूज को अधिक बढ़ावा मिलता है।

∴ अतः संसद में पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यमसे पेड न्यूज को गंभीर अपराध की श्रेणी में डालना चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा उद्धृत 'अनिवार्यता के सिद्धांत' पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Discuss the 'Doctrine of Essentiality' referred to by the courts in the context of religious practices in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अनिवार्यता का सिद्धांत, धार्मिक मामलों से संबंधित है जिसकी उत्पत्ति 'शिरूर मठ वाद' में देखी जा सकती है.

अनिवार्यता का सिद्धांत और धार्मिक प्रथाएँ:

(1) सिद्धांत:
यह धार्मिक क्रिया कलापों को दो वर्गों में विभाजित करता है-

प्रथम वर्ग जो धर्म का अनिवार्य अंग है
यथा- ईश्वर को मानना
प्रजास्थलों का प्रबंधन.

द्वितीय वर्ग > जिसमें ऐसे तत्व शामिल हैं जो धर्म के मूल तत्व को कम संबोधित करते हैं तथा उत्तरोत्तर अवधि में विकसित हुये हैं-
यथा- हिजाब पहनना (कर्नाटक उच्चन्यायालय)
प्रार्थना हेतु आराध्य के समीप होना.

(2) मूल अधिकारों से संबंध -

विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्याख्या की गयी है कि जो प्रथम वर्ग अर्थात अनिवार्य पद्धतियाँ हैं उन्हीं को मूल अधिकारों का संरक्षण प्राप्त है।

⇓

राज्य गैर अनिवार्य क्रियाकलापों को विनियमित कर सकता है.

(3. धार्मिक प्रगतिशीलता.

प्रायः व्याख्या के दौरान आधुनिक मूल्यों तथा समावेशीता को बढ़ावा दिया जाता है. तथा धर्म के एकाधिकार को हतोत्साहित करना

यथा- मस्जिद, ~~नमाज~~ के बाहर भी नमाज दी जा सकती है

(4) सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोकव्यवस्था तथा नैतिकता के साथ संतुलन.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धार्मिक पाठों के साथ साथ अनिवार्यता के निर्धारण

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

में उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाता है।

हालांकि इस क्लीन विभाजन की अनेक चुनौतियाँ भी हैं यथा:

चुनौतियाँ
- न्यायालयों के पास आवश्यक धार्मिक विशेषज्ञता का अभाव
- अल्पसंख्यकों के अधिकारों से समझौता.
- विभाजन के आधार वस्तुनिष्ठ नहीं हैं.
- अनु. 25-28 के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन.

∴ हालांकि भारत में मूल अधिकार युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं फिर भी सर्वोच्च न्यायालय को विभाजन के वस्तुनिष्ठ आधार विकसित करने चाहिए तथा धार्मिक गुरुओं के मत को भी संज्ञान में लिया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

14. प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

As per the recently released report of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), there is an urgent need to limit the size of the government in India. Do you agree? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नवउदारवाद तथा आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में 'न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन' की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन
- → सरकार की भूमिका नियामक की
- → नागरिक अधिकारों का सम्मान
- → बाजार में हस्तक्षेप न करना
- → निजी क्षेत्र तथा नागरिक समूहों का विकास
- → संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग

सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता

(1) भारत में 91 वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से सरकार के आकार पर

प्रतिबंध लगाये गये हैं यथा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15%.

2. फिर भी 545 लोकसभा सदस्यों का 15%. सरकार के आकार को बहुत बढ़ा देता है।

3. प्रत्येक नये मंत्रालय के साथ 10 विभाग या अधिक की स्थापना करनी पड़ती है तथा उतनी ही संख्या में नौकरशाही (सचिव आदि) में वृद्धि होती है।

4. राजकोषीय उत्तरदायित्व अधि. के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु न्यूनतम सरकार

5. भारत में कल्याणकारी मदों पर खर्च अत्यंत कम है (यथा स्वास्थ्य 2.1%. तथा शिक्षा 3.3%.)।

सरकार के आकार को कम करने से इन मदों पर खर्च में वृद्धि.

6. स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति के विकास हेतु

अनेक मंत्रालय सिर्फ चुनावी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उद्देश्यों हेतु हैं जो गठबंधन के दौरान उपयोग में लाये जाते है।

7 नीतिगत देरी: भारत में ऊर्जा हेतु तीन से चार मंत्रालय हैं; समन्वयता का अभाव नीतिगत शून्यता पैदा करता है।

हालांकि यह आवश्यक है कि भारत में सरकारी तंत्र सक्षम तथा स्फूर्त हो ताकि
- बेहतर विनियमन हो सके
- संसाधनों का आवंटन
- सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना
- अवसंरचना तथा औद्यो. विकास हो

फिर भी एक व्यापक अध्ययन के पश्चात ऐसे मंत्रालयों को मर्ज किया जा सकता हैं जो एक ही क्षेत्रक से संबंधित हैं यथा:) परिवहन तथा ऊर्जा क्षेत्रक के मंत्रालय ||

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना की कल्पना भारत में उच्चतर शिक्षा के 'विश्व स्तरीय' केंद्र विकसित करने के लिए की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी, यह अभी तक गेम चेंजर नहीं बन पाई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Institutions of Eminence (IoE) scheme was conceived to develop 'world-class' centres of higher education in India but six years later, it is yet to become the game changer it was intended to be. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इंस्टीट्युशन्स ऑफ इमिनेंस योजना शिक्षा मंत्रालय की पहल है जो शिक्षा संस्थानों का विकेंद्रीकरण तथा सर्वोत्कृष्टता प्राप्ति के उद्देश्यों हेतु लायी गयी थी।

हालांकि यह योजना अभी भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कोई सार्थक उपलब्धि हासिल करने में वंचित रही है जिसके निम्न कारण है:-

1. नीतिगत अंतराल:

योजना निर्माण के समय निजी क्षेत्र की आगतों का उपयोग नहीं किया गया।

वर्तमान में निजी क्षेत्र के संस्थानों की भागीदारी इस योजना में नगण्य है।

2. बजटीय आवंटन :

प्रारंभ में आवश्यकतानुरूप बजटीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये तथा आगे उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हुआ।

3. वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग का अभाव :

उच्चतर शिक्षा के विश्वस्तरीय केंद्र हेतु आवश्यक था कि भारतीय संस्थानों तथा वैश्विक संस्थाओं के मध्य अंतर्क्रिया को बढ़ावा दिया जाय।

यह इस योजना में उपेक्षित रह गया। वर्तमान में मात्र 8 संस्थान ही QS रैंकिंग की सर्वश्रेष्ठ 400 की सूची में शामिल हैं।

4. सार्वजनिक निजी क्षेत्र के मध्य सहयोग का अभाव कायम रहा।

5. कोविड-19 ने योजना के क्रियान्वयन में व्यवधान डाला।

6. संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा न देना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हालांकि इस योजना के तहत कई रिसर्च संस्थाओं तथा मेडिकल संस्थाओं को इमिनेंस का दर्जा दिया गया है।

आगे की राह:

① नई शिक्षा नीति व योजना के अनुरूप शिक्षण संस्थाओं का विकेंद्रीकरण हो।

② विश्वविद्यालयों से अनिवार्य संबद्धता का प्रबंध हटाया जाये।

③ यूजीसी के विनियमन प्रभार को पुनः निरीक्षित करना।

④ वैश्विक संस्थाओं से कोलैबोरेशन

⑤ अवसंरचना के साथ साथ मानव संसाधन क्षमता में निवेश।

"2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात हेतु योजना का प्रभावी पुनर्गठन आवश्यक होगा।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

16. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है, समावेशन या पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Digital Public Infrastructure (DPI) allows for innovative and convenient public services, help overcome inclusion or accessibility barriers, and increase transparency and accountability with real-time data. Discuss with examples. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रा से तात्पर्य सार्वजनिक रूप से विकसित डिजिटल समाधानों से है जो जनता को फ्री ऑफ कास्ट या कम कीमत पर उपलब्ध होते हैं यथा : eVIN. भीम एप आदि.

DPI और नवोन्मेषिता :

1. यह आधुनिक समाधानों हेतु अवसंरचना का विकास करता है.

2. स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करता है.

3. नवीन विचारों को मूर्त रूप देने में सहयोगी यथा - PM-GDISHA आदि.

4. सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संसाधन विद्यार्थियों की ज्ञान तक पहुँच में वृद्धि करते हैं यथा - डिजिटल लाइब्रेरी आदि.

DPI और सुविधाजनक सार्वजनिक सुविधाएँ

1. यह सार्वजनिक सुविधा प्राप्ति में मिडिलमैन की आवश्यकता को कम

2. यह पारदर्शी तथा निष्पक्ष सेवा वितरण को संभव
यथा - e-फाइल, सूचना का अधिकार

3. यह भ्रष्टाचार को कम करता है यथा -
PDS व्यवस्था का डिजिटलीकरण
आधार की आवश्यकता

4. यह विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य वंचित वर्गों की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं

DPI और समावेशिता
- यह सरकारी एजेंटों की आवश्यकता खत्म
- टेली मेडिसिन तथा टेली शिक्षा सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुँच।
  :) मनोदर्पण पहल
- वंचित वर्गों को आवाज
  ⊙ ऑनलाइन शिकायत प्रणाली
  ⇓
  UP की नागरिक शिकायत निवारण व्यवस्था।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि

1. DPI सार्वजनिक डोमेन में सूचनाओं के प्रवाह को संभव बनाता है
||
2. सार्वजनिक तथा थर्ड पार्टी ऑडिट संभव डेटा का मानकीकरण → कैग द्वारा व्यवस्थित समीक्षा.
3. फेसलेस टैक्स असेसमेंट संभव हुआ है.
||
4. न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का विचार.

" हालांकि भारत में इंटरनेट का प्रवेशन 55% है तथा सरकारी डिजिटल अवसंरचना का प्रयोक्ता अनुभव भी चिंता का विषय है अत: डिजिटल साक्षरता तथा अवसंरचना विकास को और गति प्रदान करनी होगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. कानून के अलावा, भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' की पूर्ण प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Besides legislation, the full realisation of the 'right to health for all' in India demands plugging of social, financial, and infrastructural gaps. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देविका विश्वास वाद में सभी के लिये स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता प्रदान की है, हालांकि यह अधिकार कई कमियों से ग्रसित है।

कानूनी पक्ष

- अनु. 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार।
- देविका विश्वास वाद।
- नीति निदेशक तत्व।
- कुछ राज्यों में अनिवार्य स्वास्थ्य का अधिकार यथा- राजस्थान
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017

सामाजिक क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता।

1. WHO के अनुसार भारत के पास WASH संबंधी स्पष्ट रणनीति का अभाव है।

2. शहरी मलिन बस्तियाँ प्रायः स्वास्थ्य महामारियों का केंद्र

3. शहरों में जल की गुणवत्ता का प्रभावित होना : केंद्रीय जल आयोग: भारत की अधिकांश नदियों में आर्सेनिक

4. जीरोड़ें शहरों का उदय

विल्तीय क्षेत्रक में सुधार की आवश्यकता

1. स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय मानकों से कम रहा है . वर्तमान में 2% (आर्थिक सर्वेक्षण)

2. स्वास्थ्य सुविधाएँ निजी क्षेत्र द्वारा चालित हैं (70%) ॥

=) आउट ऑफ पॉकेट व्यय में वृद्धि (वर्तमान में 48% तक)

3. नीति आयोग के अनुसार भारत की 30% आबादी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य बीमा से वंचित है [मिसिंग मिडिल]

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता.

1. भारत में 60% अस्पताल तथा 80% डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं
2. मेडिकल कॉलेजों में मानकीकृत अवसंरचना का अभाव है.
3. 60% PHC में योग्य चिकित्सकों का अभाव है,
4. मानव अवसंरचना में विशेष उपेक्षित रहा है। यथा आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रशिक्षण.

सुधार
- सार्वजनिक व्यय में वृद्धि
- राष्ट्रीय WASH नीति का निर्माण.
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक अवसंरचना को सशक्त करना
- आयुष्मान भारत योजना का विस्तार.

संवैधानिक मैण्डेट तथा SDG-03 की प्राप्ति हेतु भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरकारी सुधारों की आवश्यकता है।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

18. विधायी समर्थन के बावजूद 'थर्ड जेंडर' को अभी तक भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The 'third gender' has not yet been engendered in the Indian society despite legislative nudge. Analyse. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा वाद में थर्ड जेंडर को मान्यता प्रदान की थी। जिसके बाद विधायी पक्षों द्वारा इनका सशक्तीकरण किया गया है-

विधायी समर्थन

- ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन
- एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का निर्माण।
- राज्यों के स्तर पर विधायी अधिनियमों को अपनाना।
- सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश :) नालसा वाद, नवतेज सिंह जौहर वाद
- धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करना।
- विशेष विवाह अधिनियम का थर्ड जेंडर के पक्ष में विस्तार।

भारतीय समाज में मान्यता न मिलने के कारण:

(i) विधायी अधिनियमों की समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया हो ये यह आवश्यक नहीं यथा.

(ii) केरल में मंदिर प्रवेश निर्णय का विरोध

विधायी नीतियाँ, सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित करने में समय लेती हैं.

यथा:) अस्पृश्यता उन्मूलन -1955

(iii) आर्थिक सशक्तीकरण न होना

थर्ड जेंडर वर्तमान के समाज में वंचित वर्गों में आता है।

आजीविका के साधनों तक पहुँच का न होना सामाजिक मान्यता में बाधक है।

(iv) सामाजिक सशक्तीकरण का अभाव.

आवश्यक है कि शिक्षा संस्थानों में आरक्षण हो

आवास का अधिकार हो

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

घर में आश्रय तथा संपत्ति का अधिकार हो.

(4) राजनीतिक वंचन:

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिनिधित्व का अभाव है।

साथ ही स्थायी कार्यपालिका में वंचन का शिकार हैं।

(5) सामाजिक पूर्वाग्रह:

ऐतिहासिक रूप से समाज में थर्ड जेंडरों हेतु अलग-अलग संज्ञाओं का विकास हुआ है।

अपूर्ण मनुष्य के रूप में देखा जाता है।

आगे की राह:

- शिक्षण प्रणाली में समावेशीता
- प्रशासन में भागीदारी.
- सिनेमा के माध्यम से अभिवृत्ति परिवर्तन यथा 'ताली मूवी'

"प्राय: सामाजिक मान्यता समयसाध्य होती है किंतु सभी स्तरों पर प्रयास के द्वारा यह तीव्र गति से संभव होगा।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

19. अन्य कारकों के अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectations from the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

शंघाई सहयोग संगठन 41% जनसंख्या तथा 25% वैश्विक gdp हेतु उत्तरदायी है-

शंघाई सहयोग संगठन देश.

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को नाटो के प्रतिउत्तर के रूप में देखा जाता है.

भारत के लिये चुनौती
- रणनीतिक स्वायत्ता को कायम रखना.
- मध्य एशियाई गणराज्यों तक पहुँच का अभाव
- रूस - चीन संबंधों में बढ़ती प्रगाढ़ता
- शासन प्रणाली में अंतर

इन कारकों के साथ-साथ चीन और पाकिस्तान संबंध तथा भारत का उनसे तनावपूर्ण संबंध, SCO में भारत की भूमिका को प्रभावित कर रहा है.

① आतंकवाद विरोधी विंग (RATS) को निष्प्रभावी करना.

चीन-पाक नेक्सस SCO के क्षेत्रीय सुरक्षा के मैंडेट को कमजोर करता है।

(ii) CPEC.

CPEC, भारत की संप्रभुता का हनन करता है। यह SCO के सदस्यों के मध्य संप्रभुता के सम्मान के तत्व को कमजोर करता है।

(iii) अवसंरचना में बाधा.

TAPI पाइपलाइन तथा अन्य अवसंरचना प्रोजेक्ट को पूरा करने में दोनों देश प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न करते हैं।

(iv) मध्य एशियाई राज्यों के साथ सहयोग.

www.visionias.in
उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SCO के सदस्य के रूप में भारत की प्राथमिकता मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों में सुधार है।

चीन: इन देशों के लिये भारत के विकल्प के रूप में सामने आता है।

(v) एकरूपता का अभाव

परस्पर विरोधी हितों के कारण संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से दूर रहा है।

समाधान:

- SCO का विस्तार करना
  - हाल ही में ईरान नया सदस्य
- उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का विकास
- रूस के साथ संबंधों में सुधार

"SCO, भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का प्रमुख भाग है तथा क्षेत्रीय महाशक्ति के आदर्श हेतु आवश्यक है। अत: भारत को दोनों देशों के साथ औपचारिक संबंधों में सुधार को बढ़ावा देना चाहिए तथा अन्य देशों से अंतर्क्रिया में भी बढ़ावा दिया जाए।"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर हाल ही में संपन्न पहल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी साझेदारी में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The recently concluded initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) between the United States and India promises a long overdue transformation of their partnership in the field of technology. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में भारत तथा अमेरिका के मध्य iCET पर समझोता हुआ है जो रक्षा संबंधों का अगला चरण साबित हो सकता है-

साझेदारी में परिवर्तन का अवसर -

1. प्रौद्योगीकीय चालित संबंध दोनों देशों की अंतर्क्रिया को बडा कैनवास उपलब्ध करायेगा।
2. भारत तथा अमेरिका की साझेदारी, की भविष्य में उपयोग को सुनिश्चित करेगी।
3. युएसए की संस्थागत क्षमताओं का लाभ भारतीय मानव संपदा को हो सकेगा।
4. दोनों देशों के मध्य iCET साझेदारी

5. तकनीकी की आपूर्ति श्रृंखला को परिपक्व करेगी।

6. भारतीय कामगारों के कौशल उन्नयन में सहायता मिलने के अवसर।

7. भारत तथा (इसरो) तथा अमेरिका (नासा) के मध्य अंतरिक्ष संबंधों में रूपांतरकारी परिवर्तन.

8. अर्द्धचालक तथा अन्य क्रांतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का साझा विकास.

9. AI, रोबोटिक्स तथा ड्रोन के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहभागिता वैश्विक तकनीकि विकास को सुनिश्चित करेगा।

10. साथ ही रक्षा संबंधों में सुधार संभव हो सकेगा

=) भारत तथा अमेरिका उभरती

11. प्रौद्योगिकी का उपयोग रक्षा क्षमताओं

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

में वृद्धि में कर सकेंगे।

चुनौतियाँ

- iCET साझेदारी अभी विकास के प्रारंभिक चरण में
- संस्थागत तंत्र का अभाव
- साझेदारी के स्वरूप निर्धारण में स्पष्टता न होना
- एंड टू एंड प्रौद्योगिकी का प्रावधान
- भारत का निम्न सार्वजनिक खर्च
  - अनुसंधान पर मात्र 0.67% खर्च

"हालांकि यह बहुप्रतीक्षित समझौता है जो दोनों देशों को अवसर प्रदान करता है कि चौथी पीढ़ी की तकनीकों में वे साझा विकास कर सकें तथा संबंधों को नया आयाम प्रदान कर सकें"

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK